न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 48/24 (वाद)
GCMS No. : 2024/95

1. रतनलाल पुत्र कंकुबाई जाति मीणा, नाबालिग संरक्षक पिता शंकरलाल पुत्र हुक्मा जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, हाल हीरावास फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीया

बनाम्

1. धापूबाई पत्नी कालुराम जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी हीरावास फतहनगर तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री प्रहलादसिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 12.11.2025

1. वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड़, पटवार हल्का सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 4973, 6849/4972 किता 2 कुल रकबा 0.3377 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में नाबालिग रतनलाल पुत्र कंकुबाई संरक्षक नानी धापूबाई के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदारी हक से दर्ज है। आराजी नम्बर 4977 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में नाबालिग रतनलाल पुत्र कंकुबाई संरक्षक नानी धापूबाई के नाम पर 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/16 हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि श्रीमती कंकुबाई एवं शंकरलाल पति–पत्नी है और इनके संसर्ग से एक पुत्र वादी रतनलाल उत्पन्न हुआ। श्रीमती कंकुबाई की मृत्यु आज से करीब 14 वर्ष पूर्व अर्थात वादी रतनलाल की अल्पायु में ही हो गई जिसके बाद से ही वादी रतनलाल उसके पिता शंकरलाल के संरक्षण में रहकर पल बढ़ रहा है तथा पिता शंकरलाल द्वारा ही वादी रतनलाल का भरण पोषण किया जा रहा है और वादी रतनलाल की नाबालिग अवस्था में ही उसकी माता का निधन होने से नाबालिग वादी रतनलाल का वैध प्रतिनिधि एवं संरक्षक उसका पिता शंकरलाल ही है और इसी अधिकार एवं हैसियत से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी रतनलाल के नाम अंकित भूमि वादी रतनलाल को उसके नाना श्री कालुराम मीणा से विरासत में प्राप्त हुई है जिस हिस्सा भूमि पर वादी रतनलाल अपने पिता के सहयोग से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है क्योंकि वादी रतनलाल की माता की मृत्यु होने से उसके वैध संरक्षक उसके पिता ही रहे हैं। किन्तु उक्त कृषि भूमि वादी रतनलाल के नाना कालुराम के बजाय जब विरासत का इन्तकाल अन्य वारिसानों के साथ वादी रतनलाल के नाम पर भरकर स्वीकृत किया गया तब रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा बिना किसी आधार के वादी रतनलाल के संरक्षक के रूप में नानी धापूबाई का नाम अंकित कर दिया जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम नाबालिग रतनलाल पुत्र कंकुबाई संरक्षक माता धापू बाई की हैसियत से अंकित चला आ रहा हैं। जबकि धापूबाई वादी रतनलाल की संरक्षक नही थी, न हैं।
3. यह कि वादी, शंकरलाल कंकुबाई का जायन्दा पुत्र है तथा वादी के पिता शंकरलाल जीवित है और संरक्षक भी वादी के यही है एवं वादी अपने पिता के सहयोग से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा हैं किन्तु वादी की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी के संरक्षक के रूप में नानी धापूबाई अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित होने से प्रतिवादी संख्या 1 इसका नाजायज फायदा उठाकर वादी के हक हिस्से की कृषि भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है एवं इस हेतु प्रयासरत है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है क्योंकि वादी अपने पिता के संरक्षण में है, पिता के पास निवास कर रहा है और पिता द्वारा ही भरण पोषण किया जा रहा है एवं वादी किसी भी गम्भीर बीमारी से पीड़ित भी नही है अर्थात वादी को ऐसी कोई जायज जरूरीयात नही है जिससे की [illegible] इस कृषि भूमि को हस्तान्तरित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

पूरा करना पड़े। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 भूमाफियों एवं भूदलालों के साथ मिलकर लोभलालच की भावना से वशीभूत होकर वादी के हक हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द करना चाह रही है तथा इस अवैधानिक कार्य में रेवेन्यु एजेन्सी के लोग भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाजायज सहयोग करने पर तत्पर हो रहे हैं जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिये वादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में उसके संरक्षक के रूप में अंकित नानी धापू बाई का नाम हटवाकर अपने पिता शंकरलाल का नाम संरक्षक के रूप में अंकित किये जाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है और यह आवश्यक भी है ताकि वादी के हक हिस्से की भूमि सुरक्षित रहे। जिसके लिये यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि वादी के संरक्षक उसके पिता शंकरलाल है और वादी के हक हिस्से की भूमि भी वादी अपने पिता के सहयोग से ही उपयोग उपभोग करता आ रहा है और अपने पिता के ही संरक्षण में है। वादी कभी भी उसकी नानी धापूबाई की संरक्षकता में नहीं रहा है फिर भी रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा वादी के संरक्षक के रूप में नानी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम संलग्न कर दिया और अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लोभलालच की भावना पैदा हो जाने से वह नाजायज तरीके से वादी के नाम अंकित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रही है और धमकीयां भी दे रही है कि वो वादी के नाम अंकित भूमि को संरक्षक की हैसियत से खुर्द बुर्द करके ही रहेगी। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बेह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, कब्जा नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वादी के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करे, रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में है।

5. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 25.09.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के नाम अंकित भूमि को संरक्षक की हैसियत से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी और समझाईश करने पर भी नही मानी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
6. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी रतनलाल पुत्र कंकुबाई के संरक्षक के रूप में अंकित नानी धापूबाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को हटाया जाकर वादी के संरक्षक के रूप में पिता शंकरलाल का नाम अंकित किये जाने की घोषणा फरमाई जाकर इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराये जाने की डिक्री जारी फरमाई जावें। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में वादी के नाम अंकित भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी को उसके नाम अंकित हिस्सा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, बेदखल नही करे, कब्जा नहीं करे, नुकसान नहीं पहुँचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वादी के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करे, रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।
7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादी ने आप न्यायालय में धारा 88-188 आर.टी. एक्ट का मुकदमा किया है जिसमे वादी ने नाबालिग खातेदार रतन लाल पुत्र कंकु बाई के संरक्षक के सम्बंध में शंकर लाल द्वारा संरक्षता लेने के सम्बंध में पेश किया गया है। नाबालिग के शरीर एवं सम्पति की संरक्षता के सम्बंध मे संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम मे विशेष प्रावधान दिये गये है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय जिला न्यायालय को प्राप्त है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार उक्त वाद की सुनवाई का अधिकार माननीय आप न्यायालय को नही होकर जिला न्यायालय को होने से विपक्षी/वादी का उक्त वाद खारीज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया की वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

8. अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्यों का अंकन किया है वादी द्वारा अवयस्क की ओर से प्राकृतिक संरक्षक होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया है न की संरक्षकता लेने के सम्बन्ध मे वाद प्रस्तुत किया है, चूंकि वादी रतनलाल का प्राकृतिक पिता शंकरलाल है, जिसे संरक्षकता घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक पिता के जीवित होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 धापूबाई ने राजस्व अधिकारीयों को गलत जानकारी देकर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में संरक्षक की हैसियत से दर्ज करवा दिया है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है। शंकरलाल जिसने संरक्षक की हैसियत से रतनलाल की ओर से वाद प्रस्तुत किया है जो संरक्षक घोषित किए जाने हेतु नहीं किया है, बल्कि राजस्व रेकर्ड मे गलत ईन्द्राज संरक्षक के रुप में कर दिया है उसको हटाया जाकर प्राकृतिक पिता के नाम को संरक्षक के रुप में घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है।

निवेदन किया की आदेश 7 नियम 11 जा.दी.में जिन आधारों का वर्णन किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि :–

क– जहां वाद हेतुक प्रकट नही होता है।

ख– जहां वाद का मुल्यांकन अनुतोष के लिये कम आंका गया है एवं उस पर पुर्ण न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है।

ग– जहां वाद का मुल्यांकन सही किया गया है एवं दावा कमी स्टाम्प पर लिखा गया है एवं न्यायालय के लिये दिये गये विहीत समय में भी न्यायालय शुल्क का पुर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

घ– जहां वाद पत्र के कथन से प्रतित होता है कि वाद पत्र विधि द्वार वर्जित है।

ड– जहां वाद दो प्रतियों में नहीं भरा गया हैं।

च– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों की अनुपालना में असफल रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सभी कारणों में से प्रार्थी / प्रतिवादीं द्वारा किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे भी प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा एडमीशन के बिन्दु पर सुना गया एवं माननीय न्यायालय में वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 1 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसपर न्यायालय द्वारा सुना गया एवं न्यायालय द्वारा संरक्षक की हैसियत से वाद पत्र स्वीकार कर दर्ज किया गया जो विधि सम्मत है। जिससे कि प्रार्थी/ प्रतिवादीं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से चलने योग्य नहीं होकर खारीज योग्य है।

अंत में निवेदन किया की मुझ वादी के जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष कथन के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हेवी कोस्ट पर खारीज फरमाए जाने का आदेश प्रदान करें। एवं प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब का अवसर बन्द किए जाने की कृपा करावें।

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की प्रति पेश की।

10. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया [illegible] ऐसा करने में असफल रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 4973, 6849/4972 किता 2 कुल रकबा 0.3377 हैक्टयर भूमि नाबालिग रतनलाल पुत्र कंकुबाई सरंक्षक नानी धापूबाई के नाम दर्ज है तथा आराजी नम्बर 4977 रकबा 0.0567 हैक्टर भूमि नाबालिग रतनलाल पुत्र कंकुबाई सरंक्षक नानी धापूबाई के नाम 1/16 हिस्से से दर्ज है। प्रकरण में वादी नाबालिग के सरंक्षक के रूप धापूबाई के जगह अंकन करवाना चाहता है। सम्पूर्ण वाद पत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद केवल मात्र नाबालिग के संरक्षक का है अर्थात खातेदार नाबालिग रतनलाल का संरक्षक शंकरलाल होगा या प्रतिवादी संख्या 1 होगा। इसी बिन्दु के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि नाबालिग के शरीर एवं सम्पति की संरक्षता के संबंध में संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम में विशेष प्रावधान दिये गये है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय जिला न्यायालय को प्राप्त है। इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संरक्षक घोषित करने का कोई प्रावधान नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत केवल मात्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने का प्रावधान है। उक्त धारा में संरक्षक घोषित करने का कोई प्रावधान नही है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत नाबालिग का संरक्षक घोषित किया जाता है। यहां संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 4क का भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित है जो इस प्रकार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

4क. अधीनस्थ न्यायिक आफिसरों को अधिकारिता प्रदत्त करने की और ऐसे आफिसरों को कार्यवाहियां अन्तरित करने की शक्ति (1) उच्च न्यायालय आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी ऐसे अधिकारी को, जो जिला न्यायालय के अधीनस्थ है, अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश को उसके अधीनस्थ किसी ऐसे आफिसर को यह शक्ति देने का प्राधिकार कि ऐसा आफिसर इस धारा के अधीन उसे अन्तरित इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं भी कार्यवाहियों को निपटाए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा दे सकेगा।

(2) जिला न्यायालय का न्यायाधीश, इस अधिनियम के अधीन की किसी ऐसी कार्यवाही का, जो उसके न्यायालय में लम्बित है, लिखित आदेश द्वारा किसी भी प्रक्रम में अन्तरण अपने अधीनस्थ किसी भी ऐसे आफिसर को जो उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है उसे निपटाने के लिए कर सकेगा।

(3) जिला न्यायालय का न्यायाधीश अपने न्यायालय को या अपने अधीनस्थ किसी आफिसर को, जो उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को, जो ऐसे किसी अन्य आफिसर के न्यायालय में लम्बित है, किसी भी प्रक्रम में अन्तरित कर सकेगा।

(4) जबकि किसी ऐसे मामले में, जिसमें कोई संरक्षक नियुक्त या घोषित किया जा चुका है, कोई कार्यवाहियां इस धारा के अधीन अन्तरित की जाती है तब जिला न्यायालय का न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि उस न्यायाधीश का न्यायालय अथवा वह आफिसर जिसे वे अन्तरित की गई है इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों या उनमें से किन्हीं के लिए यह न्यायालय समझा जाएगा जिसने संरक्षक की नियुक्ति या घोषणा की थी।,

इस प्रकार संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 4क से स्पष्ट है कि नाबालिग के संरक्षक की नियुक्ति या घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। तदनुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादी के वादपत्र को ही देखा जाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना हो तो भी स्पष्ट है वादी का वाद संरक्षक घोषित कराने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र के बरूऐ ही वादी का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करने तथा नाबालिग का संरक्षक घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होने से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाकर वाद वादी प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। वादी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. रतनलाल पुत्र कंकुबाई जाति मीणा, नाबालिग संरक्षक पिता शंकरलाल पुत्र हुक्मा जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, हाल हीरावास फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीया

बनाम्

1. धापूबाई पत्नी कालुराम जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी हीरावास फतहनगर तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 48/24 (वाद) GCMS No. : 2024/95

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। वादी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.11.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:32:13 IST
Reason: SelfAttested